सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW

Dated: 10/07/2024

To,

Shri Amarendu Prakash
Chairman,
Steel Authority of India Ltd.- SAIL,
Ispat Bhawan,
Lodhi Road, New Delhi-110003
(Email: chairman.sail@sail.in),
(Phone:- 011-24367313)

Sub: अनुकम्पा के आधार पर SAIL MIOM में नौकरी देने के संबंध में - श्री विजय कुमार मेलगन्डी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश का दिनांक 10.08.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.06.2024 at 03:10 PM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

श्री विजय कुमार मेलगन्डी,
महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी
आर.पी.कॉलोनी, वार्ड नं. 03,
भलियाकुदर चक्रधरपुर,
जिला-पश्चिमी सिंहभूम, (झारखंड)
(Ph No. 9431347906)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

National Commission for Scheduled Tribes

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर SAIL प्रशासन द्वारा में नौकरी देने के संबंध में - श्री विजय कुमार मेलगन्डी, महामंत्री, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश, पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड) का दिनांक 10.08.2022 का अभ्यावेदन – डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 03.00 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-628/JH/9/2022-SSW
बैठक की तिथि : 14.06.2024 को 03.00 बजे
स्थान: होटल BNR चाणक्य, रांची
प्रतिभागियों की सूची संलग्न है

श्री विजय कुमार मेलगन्डी, महामंत्री, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश, पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड) ने दिनांक 10.08.2022 के अभ्यावेदन में बताया है की स्व गुरुराम बिरुली, SAIL (Meghahatburu Iron Ore Mines) में वरीय वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे, जिनका ड्यूटी जाने के क्रम में रास्ते में ही हार्टअटैक होने से 15.12.2015 को देहांत हो गया । कंपनी के नियमानुसार घर से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से घर तक वापस आने के 2 घंटे के भीतर रास्ते में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। इसी घटना की तरह कंपनी में उदाहरण भी हैं जिन्हें नौकरी दी गयी है। इस संबंध में उस समय के महाप्रबंधक ने अनुशंसा की थी, परंतु आज तक समाधान नहीं निकला। अतः, अनुसूचित जनजाति के मृतक कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करें।

आयोग ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 01.11.2022 के द्वारा अध्यक्ष, SAIL, नई दिल्ली से तथ्य तथा आख्या भेजने का निवेदन किया। इसके उत्तर में SAIL ने अपने पत्र दिनांक 12.11.2022 में बताया की 'there is no merit in the case and it cannot be considered as per company rule'। इसके प्रतिउत्तर में, श्री विजय मेलगंडी ने पत्र दिनांक 19.05.2023 में इसका खंडन किया एवं बताया की SAIL से प्राप्त तथ्य तथा आख्या बिलकुल गलत हैं एवं यह एक एक-तरफा फैसला है। इस प्रतिउत्तर को आयोग ने पत्र दिनांक 11.03.2024 द्वारा SAIL को अग्रसारित करते हुए तथ्य तथा आख्या प्रेषित करने का आग्रह किया । SAIL ने पत्र दिनांक 04.04.2024 के द्वारा पुनः अपने पूर्व में दिये गए उत्तर का समर्थन किया, जिसको आयोग ने 29.05.2024 के द्वारा आवेदक को सूचनार्थ भेज दिया।

आयोग ने इस प्रकरण पर दिनांक 14.06.2024 को 03:00 बजे रांची में अध्यक्ष, SAIL और आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना संबन्धित अधिकारी तथा आवेदक को समसंख्यक Sitting Notice तथा पत्र दिनांक 04.06.2024 के द्वारा दे दी गयी। अध्यक्ष, SAIL ने पत्र दिनांक 10.06.2024 द्वारा सिटिंग में न उपस्थित होने के लिए निवेदन किया तथा कार्यकारी निदेशक (HR) को प्रतिनियुक्त किया।

बैठक में कार्यकारी निदेशक (HR), बोकारो स्टील प्लांट तथा अन्य अधिकारी एवं आवेदक एवं पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्य भी उपस्थित हुए। आवेदक ने बताया कि Memorandum of Agreement (National Joint Committee for Steel Industry) दिनांक 01.07.2014 के परंतुक 3.5.4.1 के बिन्दु (d) एवं (f) के अनुसार SAIL को कार्यवाई करनी चाहिए थी जो नहीं की गयी। बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों ने, पूर्व में दी गयी सूचना को पुनः दोहराया एवं कहा कि कंपनी के नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना उचित नहीं होगा। बैठक में दोनों पक्षो को सुनने के बाद, यह पाया गया कि, प्रकरण में प्रशासन, बोकारो स्टील प्लांट के सहानुभूतिपूर्वक कार्य न करने कारण, लगभग पिछले 9 वर्षों से लंबित है। वर्तमान में पीड़ित व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि मृतक उन्ही की कंपनी का एक कर्मचारी था।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासन को यह संस्तुति किया गया कि स्व. गुरुराम बिरुली (वरीय वाहन चालक) के पुत्र को अविलंब अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने हेतु, प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। प्रकरण में की गयी कार्यवाई की सूचना, सिटिंग से एक माह के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं।

20/07/2024
... लकड़ा/Dr. Asha Lakra
.../Member
...ment of India
...आयोग ...nes

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 3:10 बजे, रांची में अनुकम्पा के आधार पर SAIL MIOM में नौकरी देने के संबंध में- श्री विजय कुमार मेलगन्डी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

I	**SAIL**
	Shri Rajan Prasad, Executive Director (HR)
II	**Petitioner**
	Shri Vijay Kumar Melgandi